

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर

--: आदेश :-

कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए The Epidemic Diseases Act, 1897 की धारा 2 के तहत प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 115 दिनांक 22.03.2020 की कंडिका 3 में उर्वरक, कृषि रसायन, बीज एवं कृषि संयंत्र को जोड़ते हुए उसके परिचालन एवं वितरण को पूर्णतः बंद की परिधि से बाहर किया गया है।

अतः श्री संजय कुमार, Adv., Consam Group के ई-मेल दिनांक 25-03-2020 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जिले में फारबिशगंज, अररिया से अधिकृत उर्वरकों की आपूर्ति / बिक्री की अनुमति दी जाती है।

जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक : 869 / कृ0, मुज0 दिनांक : 28-3-2020

- प्रतिलिपि :- श्री संजय कुमार, Adv., Consam Group, फारबिशगंज, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष (सभी) जिला-मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी / पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस उपाधीक्षक, पूर्वी / पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/2020
जिलाधिकारी
मुजफ्फरपुर